

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री दिनेश चन्द्र सनाढ्य पिता श्री आनन्दीलाल सनाढ्य निवासी आनन्द विला, आनन्द विहार, राजसमन्द कांकरोली
- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 15/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 17.04.2023	<p>पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ./2023/566 दिनांक 05.04.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय रेलमगरा से सम्बन्धित होने से सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को पत्र क्रमांक: सू.अ.2005/2023/307 दि. 21.02.2023 से निर्देशित करने पर तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा पत्रांक: आरटीआई/2023/32 दिनांक 16.03.2023 से वांछित सूचना अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवादी जाने एवं लो.सू.अ. उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा अपीलार्थी से दिनांक 06.04.2023 को दूरभाष से संपर्क करने पर सूचना प्राप्त हो जाने एवं सूचना से संतुष्ट होना बताया है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 16.03.2023 को भिजवादी जाने एवं अपीलार्थी को प्राप्त होकर अपीलार्थी संतुष्ट होने से उक्त प्रकरण निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद